कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर। पत्रॉक-/प्र०श्रे०लि०-4/ 31935-44 /2018-19

प्रबन्धक.

सी०एच०एस०एजुकेशन सेन्टर तात्या टोपे नगर कानपुर नगर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

शासनादेश सं०- 419 / 79-6-2013-18(20) / 91 दिनांक 08-05-2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनाँक 31-10-2018 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं सी०एच०एस०एजूकेशन सेन्टर तात्या टोपे नगर कानपुर नगर को सत्र 2018-19 से आगामी तीन शैक्षिक सत्र हेतु प्री से कक्षा 8 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित

2-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेंगा।

3-विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4-पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की घारा-12 की उप घारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5—सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की घारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

। प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

॥ किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

।।। उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया

v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की घारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अईतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम् अईतायें अर्जित करेगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की घारा 24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्ताव्यों का पालन करता है, और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधायें निम्नानसार हैं-

⊅ 0₹i0	विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	4076.8 वर्ग मी0
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1222.85 वर्ग फिट
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	_
4	कक्षाओं की संख्या	12
5	प्रध्यापक –सह कार्यालय– सह भण्डारागार के लिये कक्ष	2
6	बालक / बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल पम्प उपलब्ध है।
8	बधा रहित पहुँच	बाघा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठ्न सामग्री / क्रीडा खेल-कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

Sy

20000

9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

10-विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12-स्कूल को किसी व्यष्टि , व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकान्टेंट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी

14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू०हा० स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2018—19<u>167</u> है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15-विद्यालय ऐसी रिपॉट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है।जो मान्यता सबंधी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की किमयों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16 -सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17- संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18- विद्यालय में शिक्षण कार्य टी०ई०टी० उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विमागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

पृ०सं० / प्र०श्रें ० लि०-४ /

/ 2018-19 तददिनांक। प्रतिलिपि-निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- शिक्षा निदेशक (बेo)उत्तर प्रदेश निशातगज लखनऊ।

2- सचिव वेशिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वै०)कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर ।

8- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।